छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–48 / रेरा / 2020 / 1010 रायपुर, दिनाँक 21 / 09 / 2020

/ / परिपत्र / /

विषय :– रेरा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में ।

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4(2)(ठ)(ई) में प्रमोटर्स द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर, अपने खातों की व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से लेखा परीक्षा (AUDIT) कराने तथा उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित तथा हस्ताक्षरित लेखों का विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पश्चात् प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट दिनाँक 30.09.2020 तक प्रस्तुत की जानी थी। किन्तु वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के कारण रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का विकास कार्य विपरीत रूप से प्रभावित रहा है। छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा पूर्व में परिपत्र क्रमांक–43 के माध्यम से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के त्रैमासिक अद्यतन (जनवरी–मार्च 2020 तथा अप्रैल–जून 2020) की अवधि में वृद्धि करते हुये अंतिम तिथि 31.10.2020 निर्धारित की जा चुकी है।

अतः प्राधिकरण द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वार्षिक लेखा परीक्षण वर्ष 2019–2020 की अंतिम निर्धारित तिथि 31.12.2020 की जाती है।

निर्धारित तिथि उपरांत वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रति दिवस 500 / – का विलंब शुल्क देय होगा।

(मान. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

21/9/2020

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.